संख्या:46/2020/737 ई-2/तेरह-2020-89/2006

प्रेषक,

अनिल कुमार
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 12 जून, 2020

विषय: मेसर्स त्रिवेणी इन्जीनियरिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, बिलासपुर, जनपद मुजफ्फरनगर की क्षमता वर्ष में 330 कार्यकारी दिवस से बढ़ाकर 350 कार्यकारी दिवस स्वीकृत करते हुये आसवनी की अधिष्ठापित क्षमता 528 लाख लीटर वार्षिक से बढ़ाकर 560 लाख लीटर वार्षिक निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।

.....

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-126/दो-प्रा.डी.-111/त्रिवेणी आसवनी, दिनांक 18.03.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त पत्र द्वारा प्रेषित किये गये प्रस्ताव तथा की गयी संस्तुति के दृष्टिगत मेसर्स त्रिवेणी इन्जीनियरिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, बिलासपुर, जनपद मुजफ्फरनगर की क्षमता वर्तमान प्रतिदिन 1.6 लाख लीटर अल्कोहल उत्पादन यथावत रखते हुये आसवनी की स्वीकृत कार्यकारी दिवस 330 दिन से बढ़ाकर 350 दिन किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हुये आसवनी की अधिष्ठापित क्षमता 528 लाख लीटर वार्षिक से बढ़ाकर 560 लाख लीटर वार्षिक किये जाने की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि आसवक द्वारा क्षमता वृद्धि के क्रम में पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय भारत सरकार, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से यथावश्यक प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाएगा।

कृपया तदनुसार अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।